

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 957 / 2023

जतन सिंह

—अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भरतपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, भरतपुर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-1, भरतपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.02.2023

आदेश की दिनांक : 22.03.2023

अपीलार्थी की ओर से : श्री टी.सी. व्यास, अधिवक्ता

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी विभाग ने वर्ष 2008 में विज्ञापन के माध्यम से प्रबोधक के पद पर आवेदन आमंत्रित किए, जिसमें अपेक्षित योग्यता 10 वर्ष से अधिक की सेवा और अनुभव है। अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 29.09.2008 (अनुलग्नक-1) द्वारा प्रबोधक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, करही, तहसील नदबई, भरतपुर में हुई। अपीलार्थी की दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर सेवाएं नियमित की गई। प्रबोधक के पद पर पूर्व नियुक्ति, अपीलार्थी को सर्व शिक्षा अभियान द्वारा लोक जुंबिश योजना के तहत नियोजित किया गया था। आदेश दिनांक 09.06.2008 (अनुलग्नक-2) द्वारा अपीलार्थी को 10 वर्ष की अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र दिया, इस संबंध में कि अपीलार्थी सर्व लोक जुंबिश योजना के तहत लगातार कार्य कर रहा है। नियम 37-ए के अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग ने अन्य समान स्थिति वाले उम्मीदवारों एवं अपीलार्थी से कनिष्ठों के लिए दो वेतन वृद्धि दी लेकिन राजस्थान पंचायतीराज के नियम 37-ए के अनुसार अपीलार्थी के मामले पर विचार नहीं किया

गया, जबकि अपीलार्थी के पास 10 वर्ष का अनुभव है। अपीलार्थी को भी दो वेतन वृद्धि का लाभ दिया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा-निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य